

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द जिला राजसमन्द
मुकदमा नम्बर - 104/18 वाद अनवान ... (18/18) ... बनाम ... (18/18) ...

दिनांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर
18.3.25	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रार्थी अनुपस्थित। वादी/प्रार्थी अनुपस्थित। अधिवक्ता वादी/प्रार्थी को रूक-रूक कर आवाजे दिलवाई गई, फिर भी न तो वादी/प्रार्थी न ही उनके अधिवक्ता उपस्थित हुए। न्यायालय समय समाप्त होने तक वादी/प्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वादी/प्रार्थी का प्रतिवादीगण/विपक्षीगण से कोई समझौता हो गया है। जिससे वादी/प्रार्थी अब प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं अथवा वादी/प्रार्थी अपने वाद/प्रार्थना पत्र के प्रति गम्भीर नहीं हैं।</p> <p>अतः वादी/प्रार्थी की ओर से प्रकरण में पैरवी हेतु किसी के भी उपस्थित नहीं होने से प्रकरण इसी स्तर पर अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कमी हो, बाद दाखिला बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p>	
	<p>(बृजेश गुप्ता R.A.S.) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द</p>	